निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ़ 1941 (श0)

(सं0 पटना 798) पटना, बुधवार, 10 जुलाई 2019

सं० जी०/विविध–20–03/2018–7066
गृह विभाग (विशेष शाखा)

संकल्प

4 जुलाई 2019

विषय :– **बिहार राज्य में आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (Emergency Response Support System) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु C-DAC को निर्गत कार्यादेश तथा Service Level Agreement (SLA) में संशोधन।**

विभागीय संकल्प संख्या–6703, दिनांक–20.07.2018 द्वारा बिहार राज्य में ERSS **(Emergency Response Support System)** परियोजना के क्रियान्वयन हेतु **C-DAC** को Total Service Provider (TSP) के रूप में नामित करते हुए कार्यादेश एवं Service Level Agreement प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण)–सह–नोडल पदाधिकारी, ERSS को अनुमति प्रदान की गयी है।

2. C-DAC, तिरूवनंतपुरम के अनुरोध के आलोक में पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण)–सह–नोडल पदाधिकारी, ERSS द्वारा अनुमोदित कार्यादेश एवं Service Level Agreement (SLA) के प्रारुप में कतिपय बिन्दुओं यथा– कॉलम–3 में अंकित प्रयुक्त शब्दावली को कॉलम–4 के अनुसार संशोधित किया जाता है–

क्रमांक	संशोधन का बिन्दु	कार्यादेश में प्रयुक्त शब्दावली	संशोधित शब्दावली
1	2	3	4
1	कार्यदेश की कंडिका–4– Terms and Conditions एवं कंडिका–7.2–Service Level Agreement (SLA)	``3 years comprehensive warranty with 3 year AMC"	``3 years onsite warranty"
2	कंडिका–7.8– Terms and Conditions	M/s C-DAC should provide services for integration with	The Contractor (M/s C-DAC) should

क्रमांक	संशोधन का बिन्दु	कार्यादेश में प्रयुक्त शब्दावली	संशोधित शब्दावली
1	2	3	4
		Location Based Service (LBS) that helps the call taker to identify the location of caller through triangulation with high accuracy. Without such location based services, the centralized call taking architecture cannot work and hence the project will be considered incomplete.	provide in the system, necessary interface to Location Based Services (LBS) facility, when the service is available for integration; this helps the call taker to identify the location of the caller through triangulation method.
3	कंडिका–9	Period of five years	Period of three years
4	कंडिका–7.11–Terms and Conditions	The project should integrate the existing or proposed GIS Project done by National Information Center (N.I.C) in the state. All the vehicles that are mounted with GPS tracker devices under the GIS Project should be visible on the screen of dispatcher under ERSS Scheme.	The project should integrate the existing GIS project. All the vehicles that are mounted with GPS tracker devices under the GIS Project should be visible on the screen of dispatcher under ERSS Scheme. Owner shall ensure that necessary modifications required in GIS Project, as recommended by the contractor (M/s C-DAC) for the said integration, shall be incorporated by respective agency (NIC).

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राज्य के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पुलिस अधीक्षक एवं संयुक्त सचिव, (पी0एम0 II), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पारस नाथ,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 798-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in